ऑन लाईन नं. GCMS 2022/98

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 17/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री लोकेश गोयल पुत्र श्री सतीश चन्द्र गोयल, जाति गोयल निवासी मकान नम्बर 46, वार्ड नम्बर 46, वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर। **–विक्रेता एवं भागीदार–**

मैसर्स :– जीआरजी ऑयल मिल्स, सी–371–74, एग्रोफूड पार्क, रीको, श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 06.06.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2021 को दोपहर बाद 3.00 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ विक्रेता एवं भागीदार श्री लोकेश गोयल पुत्र श्री सतीश चन्द्र गोयल, जाति गोयल निवासी मकान नम्बर 46, वार्ड नम्बर 46, वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर, मैसर्स जीआरजी ऑयल मिल्स, सी–371–74, एग्रोफूड पार्क, रीको, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री लोकेश गोयल पुत्र श्री सतीश चन्द्र गोयल, जाति गोयल निवासी मकान नम्बर 46, वार्ड नम्बर 46, वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर, कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **सरसों तेल सत्यम ब्राण्ड** 500 मि.ली. 30 बोतले पैक विक्रय हेतु रखी थी। शुद्वता की जांच हेतु सरसों तेल की 04 बोतले नमूने वास्ते ली एवं विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **सरसों तेल सत्यम ब्राण्ड** 500–500 ग्राम 30 बोतलों में से **सरसों तेल सत्यम ब्राण्ड 04** बोतले जांच हेतु ली , जिसके पेटे 360/–रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने 500–500 ग्राम के **सरसों तेल सत्यम ब्राण्ड** में से 4 पैक बोतले के नमूनें वास्ते लिये, जिसको मूल 4 पैक अलग–अलग भाग में प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1213** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1213** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1213 सरसों तेल सत्यम ब्राण्ड** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री लोकेश गोयल पुत्र श्री सतीश चन्द्र गोयल,ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/372/एक्ट/2021/367 दिनांक 29.10.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1213 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री लोकेश गोयल पुत्र श्री सतीश चन्द्र गोयल, जाति गोयल निवासी मकान नम्बर 46, वार्ड नम्बर 46, वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mustard Oil (Satyam Brand)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी फर्म जी.आर.जी. ऑयल मिल, सी–371–374 एग्रो फूड पार्क, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर में भागीदार है तथा फर्म से सम्बन्धित सभी तथ्यों से वाकिफ है। परिवादी कम्पनी से सरसों तेल सत्यम ब्राण्ड का सैम्पल लिया गया था जो प्रयोगशाला कि रिपोर्ट में मनक स्तर पर सही पाया गया था। प्रकरण में बोतल पर लेबलिंग में जांच के दौरान अगर तुच्छ तरूटी पायी गई है तो मिस–ब्राण्ड फुड नहीं कहा जा सकता और अन्तर्गत धारा 26 कि उपधारा 2 पी.एफ एक्ट 2006 सहपठित नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत अपराध नहीं बनता है। पी.एफ. एक्ट कि धारा 17.06 के अनुसार सैम्पलिंग जांच के सभी घटक सही पाए गए है। अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी फर्म द्वारा लैबलिंग में हुई किसी प्रकार कि तुच्छ तरूटी को देखते हुए प्रार्थी फर्म के विरूद्व नर्मी का रूख अपनाते हुए पत्रावली का निस्तारण किए जाने के आदेश प्रदान करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard Oil (Satyam Brand)** का सैम्पल के–1213 जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/372/एक्ट/2021/367 दिनांक 29.10.2021 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अधिवक्त अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी फर्म जी.आर.जी. ऑयल मिल, सी–371–374 एग्रो फूड पार्क, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर में भागीदार है तथा फर्म से सम्बन्धित सभी तथ्यों से वाकिफ है। परिवादी कम्पनी से सरसों तेल सत्यम ब्राण्ड का सैम्पल लिया गया था जो प्रयोगशाला कि रिपोर्ट में मनक स्तर पर सही पाया गया था। प्रकरण में बोतल पर लेबलिंग में जांच के दौरान अगर तुच्छ तरूटी पायी गई है तो मिस–ब्राण्ड फुड नहीं कहा जा सकता और अन्तर्गत धारा 26 कि उपधारा 2 पी. एफ् एक्ट 2006 सहपठित नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत अपराध नहीं बनता है। पी.एफ. एक्ट कि धारा 17.06 के अनुसार सैम्पलिंग जांच के सभी घटक सही पाए गए है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी फर्म द्वारा लैबलिंग में हुई किसी प्रकार कि तुच्छ तरूटी को देखते हुए प्रार्थी फर्म के विरूद्व नर्मी का रूख अपनाते हुए पत्रावली का निस्तारण किए जाने के आदेश प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard Oil (Satyam Brand)"Code No and Sr. No. K-1213 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(i)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त लोकेश गोयल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त लोकेश गोयल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **Mustard Oil (Satyam Brand)"** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।